



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
समस्तीपुर- 848125 (बिहार)

किसान मेला, 2024

24-26 फरवरी, 2024

विषय : खाद्य-सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर

किसान मेला में स्टॉल आवंटन हेतु आवेदन

संस्था का नाम.....
संस्था प्रमुख का सम्पर्क सूत्र श्री/श्रीमती/डॉ
पत्राचार का पता.....
नगर.....राज्य.....पिनकोड
मोबाईल नं.
ई-मेल
आवश्यक स्टॉल की संख्या
प्रदर्शो का विवरण.....
.....
अन्य कोई सूचना (जो आवेदक देना चाहते हैं)
.....
भुगतान का विवरणडी0डी0सं0/बैंकर्स चेक सं0.....
विवरणदिनांक.....

दिनांक

हस्ताक्षर एवं संस्था की मुहर

नोट :1. किसान मेला-2024 में स्टॉल आवंटन हेतु राशि 8,000.00 (रुपये आठ हजार) मात्र खाता -"Kisan Mela-RPCA, Pusa" के नाम पंजाब नेशनल बैंक, डा.रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा A/c No. - 4512000100027244 (IFSC Code : PUNB0451200) को नगद/ चेक/ डिमांड ड्रॉफ्ट/ UPI से भुगतान किया जा सकता है।

2. राशि भुगतान करने के पश्चात् ई-मेल : amit@rpcau.ac.in, satya.prakash@rpcau.ac.in, dee@rpcau.ac.in पर कृपया सुचित करें।

सम्पर्कसूत्र :

डॉ. सत्य प्रकाश
वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
(स्टॉल बुकिंग एवं आवंटन)
किसान मेला-2024
रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा (समस्तीपुर)
848125
मो0-6207647397,
Whatsapp No.-9471601657
ई-मेल : satya.prakash@rpcau.ac.in

डॉ. जितेन्द्र प्रसाद
उप-निदेशक प्रसार-I
किसान मेला-2024,
आयोजन सचिव
रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा (समस्तीपुर)
848125
मो0- 9835763503, 6287797198
ई-मेल : dde1.rpcau@gmail.com

डॉ. एम. एस. कुण्डु
निदेशक प्रसार शिक्षा
रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा
(समस्तीपुर) 848125
मो0-9474290668,
6287797109
ई-मेल : dee@rpcau.ac.in

प्रदर्शनी के नियम एवं शर्तें

- मेला के प्रदर्शनी की नुमाईश तीन दिनों की होगी।
- प्रदर्शक अपने स्टॉल पर 24 फरवरी, 2024 से ही काबिज हो सकते हैं एवं उन्हें 26 फरवरी, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद अपने प्रदर्शित सामग्री मेला से ले जा सकते हैं।
- प्रदर्शकों को अपने प्रदर्शित सामग्रियों को मेले के समापन तक रखना अनिवार्य है।
- प्रदर्शनी के हर स्टॉल पर आवश्यक फर्नीचर, बिजली की उपलब्धता एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रदर्शकों को स्टॉल की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी।
- प्रदर्शनी स्थल पर वाहन का संचालन मेले में पूरी तरह से वर्जित होगा। वाहनों को विहित स्थल पर पार्क करने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा मुहैया करायी जायेगी।
- किसी भी प्रकार का बैनर एवं पोस्टर विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर चिपकाना अवैध है। इसके लिए निर्धारित स्थान किराये पर उपलब्ध है जिस के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्पर्क किया जा सकता है।
- प्रदर्शनी परिसर में किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का निर्माण एवं विपणन वर्जित है। यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा रात एवं दिन में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया गया है फिर भी किसी आकस्मिक दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए जन-धन की हानि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रदर्शकों से अनुरोध है कि वे अन्य विहित नियमों एवं शर्तों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रदर्शनी परिसर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु सभी का उत्तरदायित्व एवं सहयोग अपेक्षित है।
- प्रदर्शनी परिसर पूर्ण रूपेण तम्बाकू/धुम्रपान निषिद्ध क्षेत्र होगा।
- प्रदर्शनी परिसरपूर्ण रूपेण **Single Use Plastic** निषिद्ध क्षेत्र होगा।

हस्ताक्षर:

आवेदक का पूरा नाम:.....